से पहले अनधिकार कब्जा करने के लिये सरकार को रकम वसूल करनी थी उनसे १२,५५२ रुपये का हरजाना वसूल किया गया और २,४६,११६–५–० रुपये नहीं वसूल हुए ।

(ख) कुछ मामलों में निकाले गये व्यक्ति जिनसे हरजाने की रकम वसूल करना बाकी था, लापता हो गये । कुछ अन्य मामलों में दीवानी अदालतों ने सरकार को रकम वसूल से रोकने के आदेश जारी किये ।

(ग) केवल रकम वसूल करने पर कोई कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं । सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से वसूली उनके प्रशासनीय विभाग द्वारा की जाती है । अन्य मामलों में अभी हाल तक पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन) ऐक्ट [Public Premises (Eviction) Act] के अन्तर्गत सार्टीफिकेट प्रोसीडिंग्स (Certificate Proceedings) की सहायता ली जाया करती थी ।

बागान श्रमिक आवास योजना

१६६२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन किन राज्यों ने बागान श्रमिक आवास योजना चालू कर दी है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य-सरकारों को कितना ऋण दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) केरल, मद्रास, आसाम, मसूर और त्रिपुरा का केन्द्रीय प्रदेश ।

(ख) २.३३५ लाख रुपये ।

विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों को किराये पर उठाना

१६६३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य स्थानों में विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों तथा दुकानों को किराये पर उठाने के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नासकर) : (क) और (ख). जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है वहां शरणार्थियों को किराये पर दिये गये मकान/टेनीमेंट या दुकानों के किराये-नामों में इस बात का जिक्र है कि एलाटी उन्हें किराये पर किसी और को नहीं देंगे । दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

गैर-सरकारी इमारतों का अधिग्रहण

१६६४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में सरकार द्वारा अधिगृहीत कितनी गैर-सरकारी इमारतें इस समय सरकार के अधिकार में हैं ;

(ख) इन इमारतों को कब तक वापस कर देने का विचार है ;

(ग) १९५६–५७ में कितनी इमारतें वापस की गई ;

(घ) इन अधिगृहीत इमारतों का कितना किराया और किस हिसाब से दिया जाता है ; और